राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.01(02)न्याय/2023 जयपुर दिनांक **12.01.2026**

::अधिसूचना::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 8 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (सन् 1989 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार, एतद्द्वारा **जिला एवं सेशन न्यायाधीश, खैरथल, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फलौदी, डीडवाना, डीग, सलूम्बर तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1, ब्यावर, संख्या 1 कोटपूतली, को** अपने अपने राजस्व जिले की क्षेत्रीय सीमाओं के लिए विशिष्ठ न्यायालय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण के रूप में गठित करती है।

इसके साथ ही विशिष्ठ न्यायालय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, बाड़मेर का क्षेत्राधिकार राजस्व जिला बाड़मेर एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं विशिष्ठ न्यायालय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, बालोतरा का क्षेत्राधिकार राजस्व जिला बालोतरा निर्धारित किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,

12/01/2026

(राघवेन्द्र काछवाल)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, फलौदी, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, बालोतरा, डीग, कोटपूतली-बहरोड़, सलूम्बर।
9. महानिदेशक, आरसी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. एसीपी (उप निदेशक), विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

12/01/26

(अंकित रमन)

संयुक्त शासन सचिव